



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 245 राँची, शुक्रवार,

28 अप्रैल, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

23 मार्च, 2023

संख्या-5/आरोप-1-77/2018-19754 (HRMS)-- श्री राजीव रंजन कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-716/03, गृह जिला- पलामू), तत्कालीन महाप्रबंधक (कार्मिक-सह-सामान्य प्रशासन), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि०, राँची के विरुद्ध ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-371, दिनांक 25.07.2018 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में कुल 10 (दस) आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध श्री उमेश कुमार, वित्त नियंत्रक को गलत प्रोन्नति में मिलीभगत, बनहरदी कोल ब्लॉक के संबंध में पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन नहीं करने, गलत TDS जारी करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई को रोकने, दोषी पदाधिकारियों को संरक्षण प्रदान करने एवं बचाने तथा माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित नहीं करने एवं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने संबंधी कुल 10 (दस) आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6069, दिनांक 10.08.2018 एवं स्मार पत्रों द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में उनके पत्रांक-1515, दिनांक 03.11.2020 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण में कहा गया है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं, सभी व्यक्तिगत दुर्भावना से ग्रसित होकर एवं दुराग्रह रखते हुए सृजित किये गये हैं। दायित्वों के निर्वहन में इनकी ओर से कोई शिथिलता नहीं बरती गई है न ही कर्तव्य चुक की गई है। इनके द्वारा सफलतापूर्वक दायित्वों का निर्वहन किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर इनके द्वारा आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6120, दिनांक 26.11.2020 एवं स्मार पत्रों द्वारा ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई। ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-203, दिनांक 07.02.2022 द्वारा महाप्रबंधक (का०-सह- सा०प्र०) के पत्रांक-106, दिनांक 07.06.2021 द्वारा अंकित अभ्युक्ति, जिस पर अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से प्राप्त अनुमोदन को संलग्न कर उपलब्ध कराया गया। महाप्रबंधक (का०-सह- सा०प्र०) के मंतव्य/प्रतिवेदन में श्री कुमार द्वारा आरोप सं०-1 से 10 के विरुद्ध समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतीत होता है, प्रतिवेदित किया गया है। ऊर्जा विभाग द्वारा भी अपने मंतव्य में अंकित किया गया कि अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेखित मंतव्य/अभ्युक्ति पर विभाग द्वारा भी गहन समीक्षा की गई, जिसे स्वीकार्य योग्य पाया गया है, अतएव श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की जाती है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-5683, दिनांक 09.09.2022 द्वारा ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची से बिन्दुवार स्पष्ट मंतव्य की माँग की गयी, जिस पर ऊर्जा विभाग के पत्रांक-1987, दिनांक 23.09.2022 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में निम्नलिखित तथ्य अंकित किया गया-

(i) श्री राजीव रंजन कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन महाप्रबंधक (कार्मिक-सह- सामान्य प्रशासन), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि०, राँची पर गठित आरोपों से यह स्पष्ट नहीं है कि इनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की गई है।

(ii) श्री कुमार के विरुद्ध गठित एवं समर्पित आरोपों की प्रकृति गंभीर होने के संबंध में अंकित करना है कि विषयांकित आरोपों का गठन विहित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं किया गया है। आरोप सं०-1 से 10 तक पर किसी भी आरोप के संबंध में महाप्रबंधक, कार्मिक-सह-सामान्य प्रशासन, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के नियंत्री पदाधिकारी अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा कोई भी सूचना एवं पत्र ऊर्जा विभाग को प्रेषित नहीं की गई है। प्रश्नगत आरोपों का गठन पूर्व में सीधे ऊर्जा विभाग के स्तर से किया गया था।

(iii) श्री कुमार के विरुद्ध गठित सभी आरोपों के साक्ष्य के रूप में मात्र पीत-पत्र को संलग्न किया गया है। श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में संचिकाओं के माध्यम से पीत पत्र के उल्लेखित बिन्दुओं को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के समक्ष उपस्थापित किया है, जिस पर झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा किसी प्रतिकूल टिप्पणी की चर्चा नहीं की गई है तथापि तत्कालीन प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा इसे साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है।

(iv) श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्राप्त समीक्षा एवं ऊर्जा विभाग स्तर पर भी पूर्व में समीक्षा की गई थी तथा समीक्षोपरांत इस पर माननीय मुख्य (ऊर्जा) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अतएव इसकी पुनर्समीक्षा की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य की पुनः समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्री राजीव रंजन कुमार, तत्कालीन महाप्रबंधक (कार्मिक-सह-सामान्य प्रशासन), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि०, राँची के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJEEV RANJAN KUMAR BHR/BAS/3567	श्री राजीव रंजन कुमार, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक- 716/03, गृह जिला पलामू), तत्कालीन महाप्रबंधक (कार्मिक-सह-सामान्य प्रशासन), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि०, राँची संप्रति- अपर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय इसकी एक प्रति श्री राजीव रंजन कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
